HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6665/2025

1. Sonu Kumar Saini Son Of Shri Phool Singh @ Bablu, Aged About 24 Years, Resident Of Noneta Ki Dhani, Dhandhupura, Gularghata, Police Station Kotwai, Karauli, District Karauli (Raj.)
2. Suresh Kumar Son Of Shri Kallan, Aged About 35 Years, Resident Of Noneta Ki Dhani, Dhandhupura, Gularghata, Police Station Kotwai, Karauli, District Karauli (Raj.)
3. Mahendra Kumar Son Of Shri Gopal, Aged About 34 Years, Resident Of Noneta Ki Dhani, Dhandhupura, Gularghata, Police Station Kotwai, Karauli, District Karauli (Raj.)
4. Smt. Brahma Bai Wife Of Shri Phool Singh @ Bablu, Aged About 42 Years, Resident Of Noneta Ki Dhani, Dhandhupura, Gularghata, Police Station Kotwai, Karauli, District Karauli (Raj.)
5. Smt. Krishna @ Gangabai Wife Of Shri Gopal, Aged About 52 Years, Resident Of Noneta Ki Dhani, Dhandhupura, Gularghata, Police Station Kotwai, Karauli, District Karauli (Raj.)
6. Gopal Son Of Shri Bhairo, Aged About 55 Years, Resident Of Noneta Ki Dhani, Dhandhupura, Gularghata, Police Station Kotwai, Karauli, District Karauli (Raj.)
7. Kallan Son Of Shri Bhairo, Aged About 60 Years, Resident Of Noneta Ki Dhani, Dhandhupura, Gularghata, Police Station Kotwai, Karauli, District Karauli (Raj.)
8. Ramesh Son Of Shri Kallan, Aged About 39 Years, Resident Of Noneta Ki Dhani, Dhandhupura, Gularghata, Police Station Kotwai, Karauli, District Karauli (Raj.)
9. Vinod Son Of Shri Harilal, Aged About 32 Years, Resident Of Noneta Ki Dhani, Dhandhupura, Gularghata, Police Station Kotwai, Karauli, District Karauli (Raj.)

10. Rajendra @ Golu Son Of Shri Ranjit Saini, Aged About 20 Years, Resident Of New Anaj Mnadi Ke Paas, Lalso, Police Station Lalsot, District Dausa (Raj.)

---Accused-Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Smt. Chanchal Sharma Wife Of Shri Ramavtar, Aged About 36 Years, Resident Of Krishna Nagar, Bharatpur, Police Station Mathuragate, Bharatpur, At Present Police Inspector Police Station Sadar, Karauli, District Karauli (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Ram Niwas Saini, Adv. Ms. Nirmala Kushwah, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

30/04/2026

1. याची–अभियुक्त की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिवादी–प्रत्यर्थी की ओर से पुलिस थाना–करौली, जिला–करौली में पंजीबद्ध करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 427/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 121(1), 132 बी.एन.एस. तथा धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण का निवेदन है कि पुलिस निरीक्षक/परिवादिया चंचल शर्मा द्वारा वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट मिथ्या आधारों पर दर्ज करवाई गई है, परिवादिया मौके पर पुलिस वर्दी में नहीं होकर सिविल में थी, राजनैनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अभियुक्तगण पर मिथ्या आरोप

लगाये हैं, जो कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है और अंत में उपरोक्त आधारों पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा याचिका का विरोध करते हुए जाहिर किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट हो रहे हैं, उपरोक्त आरोपों अथवा इस याचिका के माध्यम से अभियुक्तगण द्वारा लिए गये बचाव के संबंध में अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता, यह अनुसंधान/विचारण का विषय है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र भी पेश हो चुका है, अन्त में याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया।

5. वर्तमान मामले में परिवादिया/अयाची क्रम–2 पुलिस निरीक्षक द्वारा वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से यह आरोप लगाया है कि वह पुलिस को प्राप्त जांच के आधार पर मौके पर गई, तो अभियुक्तगण द्वारा उसके व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की तथा बल का प्रयोग किया गया, दो कांस्टेबल के चोटें भी कारित हुई, सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। अभियुक्तगण वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं, बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र भी विचारण न्यायालय में पेश हो चुका है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा State of Uttar Pradesh and Anrs. Vs. Akhil Sharda and Ors with Sanjeet Jaiswal Vs. State of Uttar Pradesh and Ors. 2022 SCC OnLine SC 820 के पैरा संख्या–07 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी हैः–

> "7. Having gone through the impugned judgment and order passed by the High Court by which the High Court has set aside the criminal proceedings in exercise of powers under Section 482 Cr.P.C., it appears that the High Court has virtually conducted a mini trial, which as such is

> not permissible at this stage and while deciding the application under Section 482 Cr.P.C. As observed and held by this Court in a catena of decisions no mini trial can be conducted by the High Court in exercise of powers under Section 482 Cr.P.C. jurisdiction and at the stage of deciding the application under Section 482 Cr.P.C., the High Court cannot get into appreciation of evidence of the particular case being considered."

7. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kamaladevi Agarwal Vs. State of W.B. & Ors. (2002) 1 SCC 555 के पैरा संख्या–07 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी हैः–

> "7. This Court has consistently held that the revisional or inherent powers of quashing the proceedings at the initial stage should be exercised sparingly and only where the allegations made in the complaint or the FIR, even if taken it at the face value and accepted in entirety, do not prima facie discolse the commission of an offence. Disputed and controversial facts cannot be made the basis for the exercise of the jurisdiction."

8. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि अनुसंधान की स्टेज पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त कराने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोप तथा अभियुक्त की ओर से लिए गये बचाव व अन्य सामग्री की सत्यता, विश्वसनीयता आदि के संबंध में संक्षिप्त जांच अथवा संक्षिप्त विचारण अनुज्ञेय नहीं है। वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट हो रहे हैं। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरूपयोग करने हेतु दर्ज करायी गयी हो, ऐसा स्पष्ट मामला नहीं है तथा लगाये गये आरोप अपने आप में असंभाव्य हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है। अभियुक्त की ओर से जो बचाव लिये गये हैं, वे अनुसंधान का विषय हो सकते हैं तथा आरोप पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में बचाव साक्ष्य के समय सुसंगत हो

सकते हैं। अभियुक्त द्वारा लिए गये बचाव मात्र आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयत तरीके से व पूर्ण सावधानी के साथ अपेक्षित है। सामान्य रूप से जब तक सुदृढ आधार नहीं हों, अनुसंधान अथवा विचारण की प्रक्रिया को रोका जाना अथवा बाधित किया जाना उचित नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचानानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने हेतु धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग हस्तगत मामले में किया जाना उचित नहीं है।

10. परिणामतः यह याचिका खारिज की जाती है तथा स्थगन आवेदन भी उक्तानुसार खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /06